ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBBIL/2014/66218 PP. NO.- 183-185
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

गाँधीजी की बेसिक शिक्षा–एक अध्ययन

दिग्विजय यादव

एम0एड0, श्री जमुना राम स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया (उ.प्र.)भारत

Received- 30.11.2019, Revised- 08.11.2019, Accepted - 15.12.2019 E-mail: pvishwakarma534@gmail-com

सारांश : *महात्मा गाँधी ने राजनीतिक, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में इतनी ख्याति अर्जित की और राजनीति तथा समाज के क्षेत्र में उनका योगदान इतना महान् रहा कि उनका शिक्षा–क्षेत्र में महत्वपर्ण योगदान प्रायः लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। किन्तु शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विचारधारा किसी उच्चकोटि के शिक्षाशास्त्री की विचारधारा से किसी भी प्रकार कम महत्वपूर्ण नहीं है।*

गाँधीजी ने शिक्षा के उद्देश्य के रूप में वैयक्तिक एवं सामाजिक, दोनों प्रकार के उद्देश्यों का प्रतिपादन किया है। व्यक्ति और समाज एक–दूसरे के पूरक हैं, न कि विरोधी। गाँधीजी बालकों में नैतिक गुणों का विकास करना चाहते थे। साक्षरता अपने अपने में शिक्षा नहीं है। बच्चे का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास ही शिक्षा है। जीवन में श्रम का अत्यधिक महत्व हैं गाँधीजी श्रम को जीवन का आवश्यक आधार बताते थे। कहीं ऐसा न हो कि बालक श्रम से घृणा करने लगें। गाँधीजी बालकों में श्रम का आदर जगाकर उनमें श्रम की आदत डालना चाहते थे।

कुंजी शब्द– राजनीति, सामाजिक, राजनीति, शिक्षा–क्षेत्र, ओझल, उच्चकोटि, वैयक्तिक, आध्यात्मिक, साक्षरता।

बालक की शिक्षा शिल्प–केन्द्रित होनी चाहिए। शिल्प–केन्द्रित शिक्षा के अनेक लाभ हैं। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सभी दृष्टिकोणों से शिल्प–केन्द्रित शिक्षा उपर्युक्त समझ पड़ती है। गाँधीजी के अनुसार शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। विद्यालय में इस प्रकार का वातावरण रहना चाहिए कि बालक प्रयोग कर सकें। प्रयोग के अवसर बालकों को मिलने ही चाहिए। प्रयोगों द्वारा वे सत्य तक सरलता से पहुँच सकते हैं। सात से चौदह वर्ष तक के बालकों के लिए उनके अनुसार शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य होनी चाहिए। गाँधीजी विषयों को नितान्त पृथक् रूप में पढ़ाने के विरूद्ध थे। ज्ञान अन्ततः एक है। विषयों की दीवारें कृत्रिम एवं सुविधाजन्य हैं। अतः विषयों को यथासम्भव साहचर्य विधि से पढ़ाना चाहिए।

उपर्युक्त सभी विचार प्रगतिशील विचार हैं। इनमें मनोवैज्ञानिक पुट है। दर्शन सम्मता भी इसमें है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये उचित ठहराते हैं और सबसे विशेष बात तो यह है कि आधुनिक शिक्षा की उत्तम प्रणालियों में ये ही सिद्धान्त हमें मिलते हैं। पश्चिम में भी उपर्युक्त सिद्धान्त प्रगतिशील शैक्षिक विचारधारा के सिद्धान्त हैं। प्रोजेक्ट विधि, समस्या विधि, कॉम्प्लेक्स विधि आदि ऐसी शिक्षण–विधियाँ हैं जिनमें हम गाँधीजी द्वारा समर्थित सिद्धान्तों को देख सकते हैं, यद्यपि यह कहना कठिन है कि गाँधीजी किसी आधुनिक पश्चिमी शिक्षण पद्धति के सिद्धान्तों का विधिवत् ज्ञान रखते थे। उनके निष्कर्ष अपने थे और इन तक वे स्वानुभव से पहुँचे थे।

गाँधीजी ग्रामीण भारत की नाड़ी पहचान गये थे। भारत गाँवों में बसा है और किसी भी शिक्षा–पद्धति की सफलता यहाँ पर ग्रामीण शिक्षा के परिणाम पर ही निर्भर है। भारतीय समाज के लिए उन्होंने बेसिक शिक्षा को सर्वोत्तम शिक्षा कहा है किन्तु बेसिक शिक्षा के महान् स्तम्भ डॉ. जाकिर हुसैन के शब्दों में, ''जिस प्रकार से राज्यों में बेसिक शिक्षा व्यवहार में लायी गयी है वह प्रवंचनामात्र रही है8।''

बेसिक शिक्षा के मूलभूत सिद्धान्त– 'बेसिक शिक्षा' अथवा 'आधारभूत शिक्षा' या 'बुनियादी शिक्षा' या 'बुनियादी तालीम' या 'नयी तालीम' के नाम से जानी गयी इस शिक्षा के चार प्रमुख सिद्धान्त हैं–

(1) सार्वभौम अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा– वर्धा सम्मेलन में पारित पहला प्रस्ताव था ''इस परिषद् की सम्मति में देश के सब बच्चों के लिए सात वर्षों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध होना चाहिए।'' वैसे वर्धा सम्मेलन के सत्ताईस वर्ष पूर्व गोपालकृष्ण गोखले ने एक प्रस्ताव द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने की माँग की थी और सन् 1911 में उन्होंने इस आशय का एक बिल भी पेश किया था, जो पास नहीं हो सका था। सन् 1918–20 में विभिन्न प्रान्तीय सरकारों ने प्राइमरी एजुकेशन एक्ट पास कर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का अधिकार जिला परिषदों एवं नगर पालिकाओं को दे दिया किन्तु इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ।

जिस समय बेसिक शिक्षा की कल्पना की गई उस समय देश परतन्त्र था। अनेक अभिशापों से ग्रस्त था। भारतीय गरीब, दुःखी व निरक्षर थे। प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न यह देश विदेशियों की विलासस्थली बना हुआ था।

अनुरूपी लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

अपने ही देश में भारतीय बच्चे पराये थे, परित्यक्त थे और उपेक्षित व दीन–हीन थे। इसका मूल कारण था–व्यापक निरक्षरता व अशिक्षा। कुछ गिने–चुने लोग साक्षर एवं सचेत हो रहे थे, किन्तु जब तक व्यापक रूप में जनता शिक्षित न हो तब तक विकास अवरुद्ध ही रहेगा। यह सब तभी सम्भव है जब कुछ समय तक की शिक्षा को अनिवार्य किया जाए। अंग्रेजी शिक्षा की तत्कालीन प्रणाली में अनिवार्यता नहीं थी। कुछ साधन–सम्पन्न लोग पढ़ाई का खर्च उठा सकने में समर्थ थे और वे ही शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। शेष अज्ञान तथा अन्धकार में डूबे हुए थे। अतः अनिवार्यता के लिए यह आवश्यक था कि शिक्षा को निःशुल्क बनाया जाए। इसीलिए मूल प्रस्ताव के अनुसार सात वर्षों की शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का आग्रह किया गया। बाद में स्वतन्त्र भारत में संविधान ने छः से चौदह वर्ष की आयु तक में बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की।

(2) मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा– बेसिक शिक्षा का दूसरा मूल सिद्धान्त था–मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। गाँधीजी मातृभाषा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने देखा कि उस समय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करते ही बच्चों को अंग्रेजी पढ़नी पड़ती थी और उच्च माध्यमिक शिक्षा तो अंग्रेजी माध्यम से दी जाती थी।

(3) उद्योग–केन्द्रित शिक्षा– वर्धा सम्मेलन ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया–''यह परिषद् महात्मा गाँधी के इस सुझाव का समर्थन करती है कि इस पूर्ण अवधि में शिक्षा का केन्द्र कोई उत्पादक उद्योग होना चाहिए और बच्चों में जो दूसरे अच्छे गुण पैदा करने हैं और उनकी जो शिक्षा–दीक्षा देनी हैं उसका सम्बन्ध यथासम्भव इसी केन्द्रिय उद्योग से होना चाहिए और इस उद्योग का चुनाव बच्चों के परिवेश और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए10।'' वस्तुतः अंग्रेजी शिक्षा का सबसे भयंकर परिणाम यह हुआ कि लोग श्रम से जी चुराने लगे थे। समाज तो अज्ञान के अन्धकार में डूबा हुआ था ही, स्कूल–कॉलेज से निकलने वाले शिक्षित नवयुवक और अधिक तामसी प्रवत्ति के होने लगे थे और उद्योग–धन्धा करना तो उनके वश का रहा ही नहीं, बस नौकरी करने के लिए लालायित थे। अपना निजी व्यवसाय भी वे भूलते जा रहे थे। केवल दिमागी काम को ही वे अच्छा और ऊँचा समझ रहे थे। समाज दो वर्गों में बँट रहा था–एक, केवल शरीर से काम करने वाला वर्ग और दूसरा, शिक्षित वर्ग जो नौकरी–पेशा अपनाता था। इस दुष्परिणाम को दूर करने के लिए गाँधीजी ने उद्योग द्वारा शिक्षा प्रदान करने की बात की।

उद्योग–केन्द्रित शिक्षा का तात्पर्य यह नहीं है कि पढ़ने– लिखने के साथ–साथ किसी उद्योग को सीख लिया जाए। वर्धा सम्मेलन में गाँधीजी11 ने स्पष्ट कहा–''आज मैं जो चीज आपके सामने रखने जा रहा हूँ, वह पढ़ाई के साथ–साथ एकाध धन्धा सिखा देने की चीज नहीं है। मैं तो अब यह कहना चाहता हूँ कि लड़कों को जो कुछ भी सिखाया जाए वह किसी–न–किसी उद्योग या दस्तकारी के जरिए ही सिखाया जाए।''

(4) स्वावलम्बन– बेसिक शिक्षा का चौथा प्रमुख सिद्धान्त है– स्वालम्बन। वर्धा सम्मेलन में गाँधीजी ने कहा था–''मैं इस बात के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि दस्तकारी के जरिए विद्यार्थी जो कुछ पैदा करें, उसकी कीमत से शिक्षक का खर्च निकल सके, क्योंकि मुझ यकीन है कि देश के करोड़ों बच्चों को तालीम देने के लिए सिवा इसके दूसरा कोई रास्ता नहीं है।'' बेसिक शिक्षा के इस चौथे सिद्धान्त की सबसे अधिक आलोचना हुई है। वर्धा सम्मेलन में भी इस पर मतभिन्नता थी किन्तु बाद में प्रस्ताव पास हो गया था। हरिपुरा में जब कांग्रेस अधिवेशन में बेसिक शिक्षा को स्वीकार करने के लिए प्रस्ताव रखा गया था तो आचार्य नरेन्द्र देव जैसे व्यक्तियों ने भी 'स्वावलम्बन के सिद्धान्त' की कटु आलोचना की थी। उनका कहना था कि इससे बालकों का शोषण होगा।

बेसिक शिक्षा का क्रियान्वयन– जिस समय वध र्ा सम्मेलन हुआ उस समय गाँधीजी देश के सर्वमान्य नेता बन चुके थे। राष्ट्र उनके प्रति कृतज्ञ था। अतः उनकी बातों को ध्यान से सुना गया। कांग्रेस ने बेसिक शिक्षा को अपने कार्यक्रम का आवश्यक भाग बना लिया। सन् 1938 में बेसिक शिक्षा की योजना उन प्रान्तों में लागू कर दी गई जहाँ कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों12 की स्थापना हो गई थी। केन्द्रिय सरकार ने भी इसके प्रसार में रुचि ली। बम्बई के तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.जी. खेर की अध्यक्षता में दो बार समितियों की नियुक्ति की गई जिन्होंने बेसिक शिक्षा को अपनाने की संस्तुति की।

सन् 1945 में सेवाग्राम में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई। समिति ने पाठ्यक्रम में सुधार का सुझाव दिया। जनवरी, 1947 में दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ जिसमें शिक्षामंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अनिवार्य शिक्षा की गति तीव्र करने पर बल दिया। बेसिक शिक्षा के कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए समिति बनाई गई। इस समिति की सिफारिशों को मान लिया गया।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. चतुर्वेदी, शिखा एवं सक्सेना एन. आर. स्वरूप

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-11, No.-II, Issues-14 YEAR- Dec. -2019

(2007), उदयीमान भारतीय समाज में शिक्षा, आर. एल. बुक डिपो, मेरठ। पृ0 26–28।

2. चौबे, सरयू, प्रसाद (1985) : भारतीय शिक्षा शास्त्री, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर। पृ0 32।
3. दवे, रमेश (2010) ''बेहतर शिक्षक, बेहतर शिक्षा'', गाँधी आन एजुकेशन, मधुर बुक्स दिल्ली। पृ0 46।
4. कौर, रवीन्द्र जी (1992) ''आधुनिक शिक्षा प्रणाली में श्री अरविन्द एवं महात्मा गाँधी के शिक्षा दर्शन की प्रासंगिकता का तुलनात्मक अध्ययन'' राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, नीपा, नई दिल्ली। पृ0 140–142।
5. महात्मा गाँधी, मेरी आत्म कथा, सत्य के प्रयोग। पृ0 18।
6. मिश्रा, एम. के., दाधीच, कमल (2011) ''गाँधी दर्शन'' अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली। पृ0 32–33।
7. पाण्डेय, रमाकान्त (2007), उदयीमान, भारतीय समाज के शिक्षा, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा। पृ0 24–26।
8. पाठक, आर. पी. (2008), ''प्राचीन भारतीय शिक्षा, कनिष्क पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली। पृ0 56।
9. पचौरी, गिरीश (2006), ''शिक्षा के दार्शनिक आधार'', लायल बुक डिपो, मेरठ। पृ0 62–63।
10. शर्मा, चन्द्रकान्ता (2008), ''रवीन्द्र नाथ टैगोर का शैक्षिक चिन्तन'' शिविरा पत्रिका, प्रवेशांक, जुलाई, 1963, वर्ष 49, अंक 4।
11. शर्मा, राजेन्द्र (2000), शिक्षा के दार्शनिक आधार, श्याम प्रकाशन, जयपुर। पृ0 42–43।
12. त्यागी, वी. पी. (2005), ''शिक्षा के दार्शनिक आधार'', आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर। पृ0 55।

*****